

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
 पत्रांक १५३८ / १४-१ उन्नाव, दिनांक , १२-१२-२०२३

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,,
 लखनऊ मण्डल, उ०प्र०,
 लखनऊ ।

प्रस्ताव सं- FP/UP/Road/25904/2017

विषय:-

जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर उन्नाव तक बाईपास रोड़ के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हेक्टेएक्ट आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 376 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक II/1902/आरईसी/2014-उ०प्र०(पार्ट-2)/244 दिनांक— 18.08.2023 उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव ऑनलाइन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.No.	आपत्तियाँ	निराकरण
1	No of trees to be felled shall be corrected in part II of the proposal.	प्रस्ताव के भाग-2 में काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या संशोधित कर दी गयी है।
2	Alternative alignments as per FCA guidelines need to be submitted in respect of minimum tree felling and minimum forest area.	न्यूनतम वृक्ष कटाई और न्यूनतम वन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	A joint site inspection of the proposed alignment shall be carried out by the DFO and concerned CCF along with Mr. Subhash Chandra Superintendent Engineer to explore possible alternatives since the present alignment is bifurcating the forest block.	सैद्वान्तिक सहमति के उपरान्त ही संरेखण तय किया गया है।

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
 उन्नाव

पत्रांक

प्रतिलिपि:-
 प्रतिलिपि:-

/ समितिकारी

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
 उन्नाव

भाग—2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रपोजल संख्या— FP/UP/Road/25904/2017

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकों पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोरतीनगर तक जिला—उन्नाव में प्रभावित होने वाली 7.3624 हेए वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
(क)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख)	जिला	उन्नाव
(ग)	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव
(घ)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेए में)	आरक्षित 7.3624 हेए वनभूमि
(ड)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि
(च)	हरियाली का घनत्व	0.01
(छ)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाये) सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. एफ.आर.एल.4 मी भी संलग्न किये जायें।	प्रस्तावित वन भूमि पर 376 वृक्ष प्रभावित हो रहा है।
(ज)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नगण्य
(झ)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	22 किमी०
(त)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हॉथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाये)	नहीं हैं।
(थ)	क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्भाल / संकटापन / विशिष्ट प्रजातियों पायी जाती है यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी व्योरा दें।	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग—1 कालम—2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो मॉगे गये विकल्पों के व्योरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहे हैं।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा	
(क)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार आदि का विवरण	ग्राम—पसनिया खेड़ा आकार—आयताकार
(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास की सीमाओं को दर्शाता मैंप।	संलग्न है।
(ग)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत, ढॉचा आदि	शीशम, कंजी तथा नीम आदि।
(घ)	1. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय 2. मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध	18,90,000.00 रुपया 70,51,560.00

	वर्तमान मूल्य	
(ड)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
11	जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	455800.00 हे०
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	16643.84 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	
(iii)	मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	54 मामले, 399.17 हे०
13	1980 से निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य	95.0 हे०
(i)	दण्ड के रूप में	216.16 हे० तथा 62803 पौध
(ii)	वन भूमि पर	75.0807
(iii)	गैर वन भूमि	
14	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	89.00 हे०
(i)	दण्ड के रूप में वनीकरण	155.58 हे० तथा 31304 पौध
(ii)	वन भूमि पर	4.81
(iii)	गैर वन भूमि पर वनीकरण	
15	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	जनहित में परियोजना को स्वीकृति किये जाने की संस्तुति की जाती है।


R.C. (Rajeshwar Chandra)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

88
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव


प्रपोजल सं0-FP/UP/Road/25904/2017

न्यूनतम भूमि संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उन्नाव वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर तक जिला-उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित 7.3624 हेक्टर आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना में दर्शित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।


रो (५०००५०)


उप प्रभागीय वनाधिकारी
उन्नाव

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
 उन्नाव

19

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the Forest Land to be diverted under F.C. Act, 1980)

Proposal No.— FP/UP/ROAD/25904/2017

A proposal has been received by this office from सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव for diversion under Forest (Conservation) Act, 1980 of 7.3624 Ha. Of forest land for non-forest purpose. The project envisages the use of forest land for Establishment of दही चौकी पावर हाउस से अग्निसमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर, उन्नाव तक के मध्य मार्ग का निर्माण।

The site inspection of the land involved in the proposal has been done by the undersigned on dated
....21.12.2022

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is protected and Reserve forest land measuring 7.3624 Ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 Part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. (Yes)

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in this area. If so, the details thereof. (NO)

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monuments is located in the area. If so, the details thereof with NOC from Competent Authority, if required. (NOT PRESENT)

The user agency has not violated the provision of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. (YES)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

The proposal is recommended accordingly.

Place:- Unnao

Date:-


Divisional Director
Social Forestry Division,
Unnao


क्षेत्रीय वन अधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी
रेज उन्नाव
